संख्या-122/2017/आर-1267/26-3-2017-4(358)/07टी.सी.-4

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 10 अगस्त, 2017

विषयः- रिट याचिका संख्या-22086(एम.एस.)/2016 कु0 सुमित्रा देवी बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-15.09.2016 एवं अवमानना याचिका संख्या-2483(सी.)/2016 कु0 सुमित्रा देवी बनाम श्री मुक्तेश्वर चौबे, जिला समाज कल्याण अधिकारी, फैजाबाद में पारित आदेश दिनांक-17.05.2017 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2331/स.क./शिक्षा-अ/1/190/2017-18, दिनांक-24.07.2017 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-15.09.2016/17.05.2017 के अनुपालन में याची छात्रा की वर्ष 2015-16 की अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देय धनराशि कुल रूपये-58,630/-(रूपये अट्ठावन हजार छः सौ तीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में याची छात्रा का यदि कोई प्रत्यावेदन निस्तारित कराया जाना हो तो इसे सम्बन्धित प्रतिपक्षी के स्तर से निस्तारित कराने का कष्ट करें।

उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02.01.2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ.संख्या-122/2017/आर-1267(1)/26-3-2017 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- जिला समाज कल्याण अधिकारी, फैजाबाद।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से
कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in